न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—83/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/83)

1. भोजराज बच्चाणी पुत्र श्रीलालचंद बच्चाणी
2. खियलदास बच्चाणी पुत्र श्रीलालचंद बच्चाणी
   दोनों जाति सिंधी निवासी—62,सतगुरू कॉलोनी,अजयनगर,अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला काबरा पत्नी श्री सुभाष काबरा
2. श्री सुभाष काबरा पुत्र श्री दिलखुश काबरा
   दोनों जाति माहेश्वरी निवासी—किशचयनगंज, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

4. परमानन्द पुत्र श्री लालचंद बच्चाणी जाति सिंधी निवासी—सतगुरू कॉलोनी, प्लॉट नम्बर—62, अजयनगर, अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2022 उपखण्ड अधिकारी अजमेर, राजस्व वाद संख्या 07/2015

उपस्थितः—

1. श्री मृणाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—31.01.2023

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2015 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तरतीबी/रेस्पोडेंट/वादी परमानन्द ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 9.5.2022 नियत है जिसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत किया और अप्रार्थी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर के जवाब में समय दिया जाता रहा और दिनांक 21.2.2022 को बिना सरकार का जवाब बंद किए उक्त प्रकरण की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 518 का रकबा 1–1–10 के नए खसरा नम्बर 523 का रकबा 0.1800 हैक्टर का वादी परमानन्द जो कि वर्तमान इस अपील में तरतीबी अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 04 है जो कि रिकार्डेड खातेदार रहा है जिससे लगकर भूमि रेस्पोडेट/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खसरा नम्बर 519 का रकबा 1–13–10 रहा है जिसके नए खसरा नम्बर 527 का रकबा 0.2700 हैक्टर बना है लेकिन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में गलती से 519 खसरा नम्बर का रकबा 1–13–10 के स्थान पर 1–14–10 अंकित करते हुए तदानुसार नक्शा तरमीम कर दिया इस त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 518 जिसके नए नम्बर 523 बने हैं कि भूमि में दखलंदाजी करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया और इसके विचारण के दौरान ही तरतीबी/अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 04 परमानन्द ने अपनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को उपरोक्त अपीलांटस अपने दोनों भाईयों को बक्शीश/उपहार पत्र अंतरित करते हुए पंजीबद्ध करवा दिया और राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भी परमांनन्द के स्थान पर उपरोक्त दोनों अपीलांटस को संयुक्त रूप से खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया है जिससे अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस व्यथित पक्षकार है और उनके हित प्रभावित हो रहे है। जिससे अपीलांट के अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए उसको दर्ज कर गुणावगुण पर सुनवाई किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 518 का रकबा 1–1–10 के नए खसरा नम्बर 523 का रकबा 0.1800 हैक्टर का वादी परमानन्द जो कि वर्तमान इस अपील में तरतीबी अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 04 है जो कि रिकार्डेड खातेदार रहा है जिससे लगकर भूमि रेस्पोडेट/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खसरा नम्बर 519 का रकबा 1–13–10 रहा है जिसके नए खसरा नम्बर 527 का रकबा 0.2700 हैक्टर बना है लेकिन राजस्व अभिलेख जमाबंदी में गलती से 519 खसरा नम्बर का रकबा 1–13–10 के स्थान पर 1–14–10 अंकित करते हुए तदानुसार नक्शा तरमीम कर दिया इस त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 518 जिसके नए नम्बर 523 बने हैं कि भूमि में दखलंदाजी करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया और इसके विचारण के दौरान ही तरतीबी/अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 04 परमानन्द ने अपनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को उपरोक्त अपीलांटस अपने दोनों भाईयों को बक्शीश/उपहार पत्र अंतरित करते हुए पंजीबद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

करवा दिया और राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भी परमांनन्द के स्थान पर उपरोक्त दोनों अपीलांटस को संयुक्त रूप से खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक आधार के आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं भौतिक रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग कर रहे अपीलांटस एवं तरतीबी/रेस्पोडेंटस जिनके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु स्पष्ट रूप से पक्ष में साबित होने के उपरांत भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अप्रार्थीगण ने जवाब में कथन किया है कि उनको प्रार्थी/रेस्पोडेंट की वादग्रस्त भूमि 518 के रकबे से कोई सरोकार नहीं है तथा यह भी स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 519 का रकबा 1–13–10 को ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने ही खरीद किया है जिसके नए खसरा नम्बर 527 बने हैं इन स्वीकारोक्तियों को नजरअंदाज करते हुए राजस्व अभिलेख में गलती से 13 बिस्वा को 14 बिस्वा अंकन करते हुए नक्शे में गलत तरमीम किया है जिसे अवलोकन किए बिना आदेश पारित कर दिया। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त किए जाने के लिए बाध्यकारी प्रावधान धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है और इसी के तहत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है क्योंकि रकबे में त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए गलत नक्शा तरमीम किया है जिसके लिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को ही प्राप्त है जिसे नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। बहस के दौरान राजकीया अधिवक्ता द्वारा यह जानकारी दी गई कि वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार तरतीबी/रेस्पोडेंट संख्या 04 नहीं रहा है तब न्यायालय को रेकार्ड पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख को अवलोकन करते हुए यह देखना चाहिए था कि उसके स्थान पर कोई रिकार्डेड खातेदार हो चुका है और उसे स्वविवेक से भी अधीनस्थ न्यायालय पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने में विधिक प्रावधानों पूर्ण रूप से सक्षम होने के उपरांत भी आदेश पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2015 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 2022(2) पेज 1348 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया हैं ।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित भूमि से प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 4 परमानन्द पुत्र लालचंद बच्चाणी का ही कोई हक अधिकार सरोकार वास्ता ही नहीं था व ना रहा एवं आज भी नहीं है, ऐसी अवस्था में विवादित भूमि कि जिसे प्रफोर्मा रेस्पोडेट संख्या 4 परमानन्द के द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में उपहार/बख्शीश पत्र से अंतरित करते हुए पंजीबद्ध करवा दिया गया, कथन अस्वीकार है जबकि विवादित भूमि से प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 4 परमानन्द का कोई अधिकार ही नही था ऐसी अवस्था में तथाकथित बख्शीश/उपहार पत्र भी शून्य है, यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 12/2015 परमानन्द बनाम श्रीमती शकुंतला जो आज भी विचाराधीन है कि जिसमें इस प्रकार के तथाकथित बख्शीश/उपहार पत्र का वाद पत्र में कोई कथन ही नहीं है, तथाकथित बख्शीश/उपहार पत्र जो कि वाद प्रस्तुत के लंबित होते हुए यदि किया गया, वह सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत भी शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 राजस्व नक्शे में दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी

गया जबकि धारा 88 व 188 के अंतर्गत नक्शा दुरूस्ती का कोई प्रावधान नहीं है, विवादित भूमि पर प्रफोर्मा रेस्पोडेट संख्या 4 परमानन्द का ही कब्जा नहीं है, नहीं था इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.2.2022 में स्पष्ट किया गया कि विवादित भूमि पर वादी/प्रार्थी परमानंद जो कि रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं है और ना ही वादी/प्रार्थी परमानन्द का मौके पर किसी प्रकार से कब्जा चला आ रहा है, आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 7/2015 निरस्त किया गया, इस प्रकार अपीलाधीन भूमि में प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 4 परमानन्द का ही एवं अपीलार्थीगण का भी किसी भी प्रकार से हित निहित हक अधिकार, वास्ता ही नहीं है, इस कारण अपीलार्थीगण का उक्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 518 रकबा कोई सरोकार ही नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में इंद्राज दुरूस्ती के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जबकि धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करवाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है खसरा नम्बर 519 कि जिसका रकबा 1–1–10 एवं खसरा नम्बर 519 कि जिसका रकबा 1–13–10 की दोनों भूमियां अलग अलग है प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जरिए पंजीबद्ध बैनामा खसरा नम्बर 519 रकबा 1–13–10 क्रय की गई के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 6.8.2005 स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार दर्ज है एवं काबिज है तथा वर्किग खसरा नम्बर 519 के वर्तमान खसरा नम्बर 527 रकवा 0.2700 बने हैं जो कि वर्तमान जमाबंदी के खाता नम्बर 126/112 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार दर्ज है तथा राजस्व नक्शा सन् 1971–72 के अनुसार खसरा नम्बर 518 के पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 522 है जो सरकारी भूमि है जो मौके पर नाला है जिसकी चौड़ाई 33 फुट उत्तर की तरफ एवं दक्षिण में 39 फुट खसरा नम्बर 523 जो कि नाला है जो खसरा नम्बर 522 से होता हुआ खसरा नम्बर 520 जो कि रिकार्डेड नाला है में मिलता है। वर्किंग खसरा नम्बर 572 जो कि वादी एंव उसके भाई शंकरलाल की भूमि है कि इस खसरा नम्बर 572 के लगता हुआ खसरा नम्बर 520 नाला की भूमि है इस खसरा नम्बर 520 नाला की भूमि पर भी वादी एवं उसके भाई शंकरलाल के द्वारा अतिक्रमण कर नाले की भूमि पर अवैध गोदाम का निर्माण कर लिया है खसरा नम्बर 520 नाला की भूमि वर्किंग जमाबंदी के अनुसार जरिए नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 26.4.2004 के अनुसार नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है वर्ममान राजस्व नक्शा 1982–83 के अनुसार खसरा नम्बर 522 सिवायचक भूमि जो मौके पर नाला है कि भूमि को वर्किंग खसरा नम्बर 518 के वर्तमान खसरा नम्बर 523 में मिला दिया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का वर्किंग खसरा नम्बर 519 के वर्तमान खसरा नम्बर 527 जो कि राजस्व नक्शा सन् 1971–72 के अनुकूल ही वर्तमान राजस्व नक्शा 1982–83 में दर्शाया गया है इस प्रकार वादी का वर्किंग खसरा नम्बर 518 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 523 बने है जिसमें नाले की भूमि को भी सम्मिलित कर दी गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के वर्किंग खसरा नम्बर 519 का वर्ममान खसरा नम्बर 527 जो कि वर्तमान राजस्व नक्शा 1982–83 में दर्शाया गया जो सही है। वर्किंग खसरा नम्बर 519, 509, 518, 519 की भूमि के संदर्भ में सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुसार मौतविरान व्यक्तियों की उपस्थिति में पटवारी हल्का के द्वारा नाप चौप कर मौका पर्चा दिनांक 22.9.2014 को तैयार किया गया कि इस मौका पर्चा में वर्किंग खसरा नम्बर 518 का चारो भुजा का नाप एवं वर्किंग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खसरा नम्बर 519 की चारों भूजा तथा सिवायचक भूमि कि जिसका वर्किंग खसरा नम्बर 522 जो मौके पर नाला है का भी नाप दर्शाया गया है मौका पर्चा दिनांक 22.9.2014 के अनुसार मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी तैयार किया गया। वादकरण दिनांक 28.9.2014 जो कि प्रतिवादी के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा जो कि सन 1982–83 में ही कायम किया जा चुका था ऐसी अवस्था में वर्तमान राजस्व नक्शा सन् 1982–83 में ही कायम किए जाने के पश्चात वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसार राजस्व नक्शे में इंद्राज दुरूस्ती किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थीगण के द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 523 की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ही नही किया गया गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । वादग्रस्त आराजी में तरतीबी/अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 04 परमानन्द ने अपनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को अपीलांट एवं उसके भाई को बक्शीश/उपहार पत्र से अन्तरिम करते हुए पंजीबद्ध करवा दिया और राजस्व अभिलेख में परमानन्द के स्थान पर अपीलांट को संयुक्त रूप से खातेदार के रूप दर्ज कर दिया गया है, इस प्रकार प्रार्थीगण/अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में पीड़ित, प्रभावित पक्षकार होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 7/2015 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थी परमान्द द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 01–01–10 बीघा का अभिलिखित खातेदार काश्तकार से क्रय किया तथा विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.01.2001 के अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस भूमि का खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया गया तथा उक्त भूमि पर भौतिक रूप से काबिज है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में वर्णित वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 519 का रकबा 1–13–10 बीघा था परन्तु त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेख के आधार पर 1 बिस्वा रकबा बढ़ा कर उक्त रकबे को 1–14–10 बीघा कर दिया गया, इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में रकबे में की गई बढ़ोतरी के कारण भी विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में अंतिक्रमण करने पर उतारू हैं,इसलिए अप्रार्थी संख्या 01, 02 को पाबंद किया जावे में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 0.18 है में प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग व चारदीवारी निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वर्तमान त्रुटिपूर्ण राजस्व नक्शे की आड़ में प्रार्थी की भूमि में अवैधानिक रूप से प्रवेश नहीं करे तथा नही किसी प्रकार हस्तक्षेप अपने किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि के माध्यम से करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 21.02.2022 को खारिज करने के आदेश दिये है जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वर्तमान अपीलांटस ने उक्त विवादित आराजी प्रार्थी परमानन्द से दिनांक 03.07.2018 को बख्शीशनामा(उपहार पत्र) पंजीबद्ध करवा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से पूर्व भूमि का क्रय अपीलांट द्वारा किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि के बेचान बाबत् को कोई स्थगन नहीं था तथा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस के दौराने राजकीय अभिभाषक द्वारा यह जानकारी दी गई कि वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार तरतीबी/रेस्पोडेन्ट संख्या 04 नहीं रहा है तब न्यायालय को रेकार्ड पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख को अवलोकन करते हुए यह देखना चाहिए था कि उसके स्थान पर कोई रिकार्डेड खातेदार हो चुका है और उसे स्वविवेक से उसके स्थान पर रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं मिला। रकबे में त्रुटिपूर्ण अंकन किये जाने को दुरूस्त किये जाने के कारण वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत नही हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रार्थीगण/अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा में पक्षकार संयोजित कर पुनः जवाब/सनुवाई का विधिवत अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित करें।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2015 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर को इस आश्य से प्रतिप्रेषित की जाती है, कि वे निर्णय में दिए गए उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी पक्षकरों को जवाब साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः पर आदेश पारित करें तथा उभयपक्षकारान को निर्देश दिए जाते हैं, कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असालतन वकालतन दिनांक 08.03.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर